


फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि. बनाम इन्तेजाम खान
प्रकरण संख्या : 969/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
16.02.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रकरण को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये नोट प्रेस किया है।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस किये जाने से धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 के प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">५९९ जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	<p>Note Press</p> <p></p> <p>16/2/2023</p>